

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई (भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन) Miniratna Category-I, CPSE (Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/01/09 (खण्ड VII)/८६९ SPMCIL/VIG/01/09 (Vol. VII)/ तिनांक ..04.2014 Date ..04.2014

कार्यालय जापन/OFFICE MEMORANDUM

विषय: भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. के सतर्कता विभाग के लिए चार्टर। Sub: Charter for Vigilance Department of SPMCIL.

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. के सतर्कता विभाग त्विरत सेवा उपलब्ध कराने के लिए और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित या समय समय पर स्वंय जारी किए गए विभिन्न गतिविधियों के लिए समयसीमा का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। निम्नलिखित समयसीमा को अधिसूचित किया जाता है:-

The Vigilance Department of SPMCIL is committed to provide prompt service and to comply with the timelines for various activities as prescribed by Central Vigilance Commission or set forth by itself from time to time. The following timelines are hereby notified:-

क्र/SN	गतिविधियां/Activities	समयसीमा/Timelines*
1	सतर्कता अनापति प्रमाणपत्र/ Vigilance	
	Clearance Certificate.	भीतर/Within one working day.
2	शिकायत में सतर्कता दृष्टिकोण होने अथवा	शिकायत प्राप्त होने के एक
	ना होने पर निर्णय/Decision as to whether	माह के भीतर/One month
	the complaint involves a Vigilance angle.	from receipt of the complaint.
3	शिकायत को फाइल करने या सीबीआई को	शिकायत प्राप्त होने के एक
	सौंपने या विभागीय जांच करने या आवश्यक	माह के भीतर/One month
	कार्रवाई के लिए संबंधित प्रशासनिक	from receipt of the complaint.
	प्राधिकारी को भेजे जाने पर निर्णय/Decision	
	on complaint, whether to be filed or to be entrusted to CBI or to be taken up for	
	investigation by departmental agency or to be sent to the concerned administrative	
	authority for necessary action.	

- पृष्ठ संख्या २ पर जारी –

फैक्स/Fax : 011-23701223 E-mail : spmcil@rediffmail.com

4	जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना/Conducting	तीन माह/Three months
	investigation and submission of report.	
5	आयोग की सलाह लिए जाने वाले मामलों में	अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा
	सीबीआई की रिपोर्ट पर विभाग की	सीबीआई की रिपोर्ट प्राप्त होने के
	टिप्पणियां/Department's comments on the	एक माह के भीतर/One month
	CBI reports in cases requiring Commission's	from the date of receipt of CBI's
	advice.	report by the DA.
6	आयोग को सलाह के लिए विभागीय जांच	जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने के एक
	रिपोर्ट को भेजना/Referring departmental	माह के भीतर/One month from
	investigation reports to the Commission for	the date of receipt of investigation
7	advice. यदि आवश्यक हो तो आयोग की सलाह पर	report. आयोग की सलाह प्राप्त होने के
,		एक माह के भीतर/One month
	पुनर्विचार/Reconsideration of the Commission's advice, if required.	from the date of receipt of
	Commission's advice, in required.	Commission's advice.
8	यदि आवश्यक हो तो आरोप पत्र जारी	(1) आयोग की सलाह प्राप्त होने के
	करना/Issue of charge-sheet, if required.	एक माह के भीतर/One month
		from the date of receipt of
		Commission's advice. (2) जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने के
	[[장 정도] - 기계를 그 그렇지요.	दो माह के भीतर/Two months
		from the date of receipt of
		investigation report.
9	बचाव-बयान प्रस्तुत करने के लिए	भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. के सीडीए
	समय/Time for submission of defence	नियम, २०१० के अनुसार पंद्रह
	statement.	दिनों के भीतर/Fifteen days as
		specified in SPMCIL CDA rules
		2010.
10	बचाव-बयान पर विचार/Consideration of	पंद्रह दिन/Fifteen days
	defence statement	

⁻ पृष्ठ संख्या ३ पर जारी -

	11	लघु दंड के मामलों में अंतिम आदेश जारी	बचाव बयान प्राप्त होने के दो
		करना/Issue of final orders in Minor Penalty	माह के भीतर/Two months
		cases.	from the receipt of defence statement.
	12	मेजर दंड के मामलों में आई.ओ./पी.ओ.	बचाव-बयान प्राप्त होने एवं
		की नियुक्ति/Appointment of IO/PO in Major	उस पर विचार करने के तुरंत
		Penalty cases.	बाद/Immediately after receipt
			and consideration of defence statement.
	13	विभागीय जांच कर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत	आई.ओ./पी.ओ. की नियुक्ति के
		करना/Conducting departmental inquiry and	छह महीने के भीतर/Six
		submission of report.	months from the date of appointment of IO/PO.
	14	अपने प्रतिनिधित्व के लिए सी.ओ. को	1) लगाए गए किसी भी आरोप
		आई.ओ. की रिपोर्ट की एक प्रति	के साबित होने की स्थिति में
		भेजना/Sending a copy of the IO's report to	आई.ओ. की रिपोर्ट प्राप्त होने
		the CO for his representation.	के 15 दिनों के भीतर/Within
			15 days of receipt of IO's report if any of the Articles of charge has been held as proved;
			2) लगाए गए सभी आरोपों के
			साबित ना होने की स्थिति में
			15 दिनों के भीतर। आई.ओ. के
			निष्कर्षों पर असहमति के
			कारण को भी सूचित करना/15
			days if all charges held as not proved. Reasons for disagreement with IO's findings to be communicated.

- 3 -

⁻ पृष्ठ संख्या ४ पर जारी –

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/01/09 (खण्ड VII)/669 SPMCIL/VIG/01/09 (Vol. VII)/ दिनांक .04.2014 Date .04.2014

- 31			
П	15	सी.ओ. का प्रतिनिधित्व पर विचार और	प्रतिनिधित्व प्राप्त होने से एक
		आयोग की दूसरे चरण की सलाह के लिए	महीने के भीतर/One month
		आई.ओ. की रिपोर्ट को अग्रेषित	
		करना/Consideration of CO's representation	1 Tepresentation
		and forwarding IO's report to the	
		Commission for second stage advice.	
	16	जांच रिपोर्ट पर आदेश जारी करना/Issuanc	
		of orders on the Inquiry report.	के एक माह के भीतर/One
			month from the date of
			Commission's advice.
			ii) आयोग की सलाह की
			आवश्यकता ना होने की स्थिति
			में जांच अधिकारी की रिपोर्ट
			प्राप्त होने के दो माह के
			भीतर/Two months from the
			date of receipt of IO's report if Commission's advice was not required.

*- कुछ असाधारण परिस्थितियों के सिवाय/Except certain exceptional circumstances

 सभी सतर्कता अधिकारी अपनी व्यक्तिगत क्षमता में उपर्युक्त अधिसूचित समयसीमा का पालन करने के लिए कठिन प्रयास करेगें।

2. All Vigilance Officials in their individual capacity shall strive hard to comply with the above notified timelines.

(एस. के. झा, भा.पु.से)/(S. K. JHA, IPS) मुख्य सतर्कता अधिकारी/CVO

सभी सतर्कता अधिकारी।/All Vigilance Officials, टकसाल/मुद्रणालय/कागज़ कारखाना/नि.मु./Mints/Presses/Paper Mill/CHO, भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि.।/SPMCIL.

- पृष्ठ संख्या 5 पर जारी -

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/01/09 (खण्ड VII)/६६९ SPMCIL/VIG/01/09 (Vol. VII)/

- 5 -

दिनांक <u>.04</u>.2014 Date <u>.04</u>.2014

प्रतिलिपि/CC:

- 1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक महोदय के विशेष कर्त्तव्य अधिकारी।/OSD to CMD.
- 2. निदेशक (मानव संसाधन/तकनीकी)।/Director (HR/T).
- 3. महाप्रबंधक (इकाइयां/नि.मु.)/General Manager (Units/CHO)
- 4. अपर महाप्रबंधक (वित्त)।/Addl. GM (Finance).
- 5. उप महाप्रबंधक (नि.मु.)/उप मु.स.अ.।/DGMs (Corporate Office)/Dy. CVO.
- 6. सूचना पटल एवं वेबसाइट।/Notice Board & Website.